मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2001 (भाद्र 29, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दतिया), प्रभाकर सिंह, प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, चिकित्सा महाविद्यालयों में चयनित सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति न दिये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल मेवरा, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम हुल्लपुर में स्थित वन भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, कटनी जिले के -
(क) ग्राम बिचुवा में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,
(ख) ग्राम गणेशपुर में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,
(ग) अंजुमन इस्लामिया स्कूल को शासनाधीन किये जाने; तथा
(घ) ग्राम पंचायत देवरी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाये जाने,

(2) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना जिले के-
(क) बंधी के पठार में सिंचाई तालाब का निर्माण कराये जाने; तथा
(ख) ग्राम ताराई में डी.पी. रखे जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
(क) ग्राम उवौरा से उरदौरा तक सड़क बनाये जाने; तथा
(ख) ग्राम उवौरा से पुछीकरगुवां व्हाया खिरिया तक सड़क बनाये जाने,

(4) श्री स्वामी प्रसाद, सदस्य, छतरपुर जिले की उप-तहसील बकस्वाहा को तहसील का दर्जा दिलाये जाने,

(5) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के केवलारी तालाब सिंचाई योजना का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने; तथा

(6) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल के नेहरू नगर स्थित जिला पुलिस लाईन के पास स्थित आवासों के सामने से तार फेंसिंग हटाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

4. वक्तव्य

श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, दिनांक 4 सितम्बर, 2001 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 86 (क्रमांक-4132) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन विधि संशोधन विधेयक, 2001 (क्रमांक 22 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

2 घन्टे — (2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 18 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (3) डॉ. गोविंद सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 19 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (4) श्री डोमन सिंह नगपुरे, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री राजा पटैरिया, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 21 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

7. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

दिनांक 28 अगस्त, 2001 को राजस्व मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्रमांक-1023) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री करणसिंह वर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 सितम्बर, 2001